राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपैक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2988946, 2973804 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / पंजीयन / 2019 / 488 **दिनांकः–** 06/03/19

सार्वजनिक सूचना

रजिस्ट्रार / प्रधानाचार्य
समस्त पैरा मेडिकल महाविद्यालय / विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान राज्य में संचालित डिप्लोमा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से लेने के क्रम में।
सन्दर्भः– इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2223 दिनांक 17.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान राज्य में पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 द्वारा पैरा मेडिकल शिक्षा के नियम / विनियम एवं विकास के उद्देश्य से 2014 से "राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल" का गठन किया गया है। राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 एवं राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के अस्तित्व में आने के पश्चात् राजस्थान राज्य में डिप्लोमा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान राजस्थान राज्य में कई महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों द्वारा भिन्न–भिन्न पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति न तो संबंधित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का एक्ट द्वारा प्रदत्त है तथा न ही महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु राज्य में विधि द्वारा गठित "राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल" से संबद्धता ली गई है। यदि किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के एक्ट में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति है तब भी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु "राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल" से संबद्धता लिया जाना आवश्यक है, निजी महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों के एक्ट में भी इस संबंध में बाध्यकारी प्रावधान है।

जिस तरह महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए मेडिकल काउन्सलिंग ऑफ इण्डिया (MCI) तथा इंजिनियरींग पाठ्यक्रमों के लिए ऑल इण्डिया काउन्सिल ऑफ टैक्नीकल एज्यूकेशन (AICTE) से सम्बद्धता प्राप्त की जाती है, उसी तरह पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उस हेतु निर्मित वैधानिक निकाय (**Statutory Body**) "राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल" से मान्यता प्राप्त करना कानूनन अनिवार्य है।

विधिक प्रावधानों के अनुसार राज्य में पैरा मेडिकल डिप्लोमा करने के पश्चात् पैरा मेडिकल वृत्तिका (Profession) करने अथवा राज्य सरकार में पैरा मेडिकल पदों पर भर्ती में भाग लेने के लिए प्रत्येक डिप्लोमाधारियों को "राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल" में पंजीयन होना आवश्यक है। यदि किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा पैरा मेडिकल काउन्सिल से मान्यता लिये बिना पैरा मेडिकल डिप्लोमा करवाये जाते है तो कानूनन ऐसे डिप्लोमाधारियों का पंजीयन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिना पूर्वानुमति पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की होगी।

अतः यदि आपके महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है तो विधि अनुसार उसकी मान्यता राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से लिया जाना सुनिश्चित करें।

6/3/19
(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / पंजीयन / 2019 / 488 दिनांकः–06/03/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, (ESI), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
10. मान्यता शाखा, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

6/3/19

रजिस्ट्रार